<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम) नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–85/1979</u>
<u>CIS NO.-264/2019</u>

दिपक कुमार गुप्ता एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

सुरेन्द्र प्रसाद सिंहा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>05.02.2021</u> उभय पक्ष की पैरवी है। वादीगण की ओर से आज एक आवेदन दाखिल किया गया तथा कहा गया कि केस न0–101/1977 के आदेश फलक की सच्ची प्रतिलिपि पर श्रीमान् का हस्ताक्षर छुट गया है। जबकि उक्त दस्तावेज को प्रदर्श–5 अंकित किया गया है। अतः उक्त कागजात पर हस्ताक्षर करने की कृपा की जाए। प्रतिवादी गण की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया। सुना न्याया हित में वादीगण का आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)

<u>पश्चात्</u>

वादीगण की ओर से दिनांक 20.01.2021 को एक आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहित के तहत दाखिल किया गया है, जिस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 27.01.2021 को कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है।

वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा वादपत्र के मद संख्या 02 की भूमि पद अपने स्वत्व की घोषणा तथा अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। यह कि वादीगण द्व ारा वादग्रस्त भूमि पर घर बनाने की तैयारी की जा रही है। जिसे वाद भूमि की प्रकृित बदल जायेगी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को वाद के निस्पादन तक वाद भूमि के प्रकृित एवं घर बनाने से रोका जाए।

प्रतिवादीगण का अपने कारण–पृच्छा में कहना है कि वादीगण का आवेदन कानून एवं तथ्य की दृष्टि से चलने योग्य नहीं बल्कि खारिज होने योग्य है। यह कि वादीगण द्वारा बिल्कुल गलत मुकदमा किया गया है तथा विवादित जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं है तथा वे दखल कब्जे में नहीं है। यह कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर कोई घर नहीं बना रहे है। ऐसी स्थिति में वादीगण का आवेदन खारिज किया जाए।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने स्वत्व की घोषणा तथा अन्य अनुतोषों हेतु लाया गया है। वादीगण का कहना है कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर घर बनाने की तैयारी कर रहे है जबकि प्रतिवादीगण का कहना है कि ऐसा कोई कार्य वादग्रस्त भूमि पर नहीं किया जा रहा है, वादग्रस्त भूमि पर दोनो पक्ष स्वत्व का दावा कर रहे है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में पक्षकारों के बीच अधिकार, स्वत्व का निर्धारण होना अभी शेष है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का मत है कि वादीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला तथा सुविधा का संतुलन परिलक्षित नहीं होता है तथा यह नही कहा जा सकता है कि यदि वादीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश

<u>न्यायालय–अमित कुमार शुक्ला, अवर न्यायाधीश (प्रथम) नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–85/1979</u>
<u>CIS NO.-264/2019</u>

दिपक कुमार गुप्ता एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

सुरेन्द्र प्रसाद सिंहा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>लगातार दिनांक 05.02.2021</u>

पारित नहीं किया जाता है तो उसे अपूर्णीय क्षति हो सकती है। तद्नुसार वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः इसे खारिज किया जाता है। वास्ते प्रतिवादीगण के बहस हेतु दिनांक 12.02.2021 को अभिलेख प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)